न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
171/2021	01.03.2021	18.11..2022

//उनवान//

1 बाबूलाल पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी नांगलरानिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादी

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा– 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0।

उपस्थितिः– श्री महेश गुर्जर – वकील वादी

निर्णय

दिनांक– 18.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 2604/1.23 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसीलदार मुण्डावर में स्थित होकर मिनवादी के 1/7 भाग की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिनवादी का नाम बाबूलाल के स्थान पर मणासिंह दर्ज कर दिया जो अंकन सम्वत् 2049 तक दर्ज चला आ रहा था तथा सम्वत् 2053 में जमाबंदी तैयार करते समय मणासिंह के नाम का अंकन को भी हजफ कर उसके स्थान पर जयसिंह दर्ज कर दिया जिससे मिनवादी को भारी नुकसान हो रहा है तथा आराजी समुचित तरीके से उपयोग/उपभोग करने से वंचित हो रहा है। जबकि मिनवादी के पहचान के समस्त दस्तावेजात में बाबूलाल पुत्र श्योदान के नाम का अंकन है अंकित करते हुये वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात के बाबत वादी के नाम का सम्वत् 2049 तक दर्ज मणासिंह व सम्वत् 2053 से ताहाल तक दर्ज नाम जयसिंह पुत्र श्योदान को हजफ किया जाकर सही नाम बाबूलाल पुत्र श्योदान दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी की ओर जरिये पैरोकार सरकार जवाब पैरोकार पेश होकर शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक वादी स्वयं सिद्ध करे के बाबत का पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप फोटो प्रति जॉब कार्ड प्रदर्श–1, फोटो प्रति पैन कार्ड प्रदर्श–2, फोटो प्रति आधार कार्ड [illegible] नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, नकल [illegible] क्षेत्रफल सम्वत् 2049 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2049–52 प्रदर्श–7, नकल [illegible] 2053 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2057–60 प्रदर्श–9, नकल [illegible] 2065–68 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 प्रदर्श–11, नकल निर्वाचक नामावली सन् 2018 भाग संख्या 133 प्रदर्श–12, छायाप्रति बैंक पास बुक खाताधारक बाबूलाल [illegible]र्श–13 एवं दिनांक 18.11.2022 ग्राम पंचायत उलाहेड़ी का प्रमाणपत्र पेश किया जिसके मुताबिक अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0
सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

है कि बाबूलाल पुत्र श्योदान सिंह को गांव में मणसिंह, मणासिंह व जयसिंह के नाम से भी बोला जाता है तथा इनके पहचान के समस्त प्रमाणपत्र में नाम बाबूलाल अंकित है तथा मणासिंह, मणसिंह व जयसिंह तथा बाबूलाल नाम का एक ही व्यक्ति है पेश किया एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र बाबूलाल पीडब्ल्यू–1, बनवारी लाल पीडब्ल्यू पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात के बाबत वादी के नाम का उक्तानुसार जमाबंदीयात में अलग–अलग चौसालों में मणसिंह उसके बाद मणासिंह एवं उसके बाद इनके स्थान पर जयसिंह नाम का अंकन कर दिया गया है जो ताहाल तक चला आ रहा है तथा वादी के समस्त पहचान के दस्तावेजात में बाबूलाल पुत्र श्योदान नाम अंकित है ऐसी स्थिति में वादी को काफी परेशानी हो रही है तथा अपने कब्जेकाश्त खातेदारी आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहा है इसलिए वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी का जयसिंह पुत्र श्योदान नाम को हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर बाबूलाल पुत्र श्योदान दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल ख0नं0 2604/1.23 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के अंकित नाम जयसिंह पुत्र श्योदान के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं जयसिंह पुत्र श्योदान के बजाय बाबूलाल पुत्र श्योदान जाति गुर्जर के अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक **18.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
171/2021	01.03.2021	18.11..2022

//उनवान//

1 बाबूलाल पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी नांगलरानिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— प्रतिवादी

दावा — इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा— 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0।

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश गुर्जर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.11.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

अतः हाल ख0नं0 2604/1.23 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के अंकित नाम जयसिंह पुत्र श्योदान के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं जयसिंह पुत्र श्योदान के बजाय बाबूलाल पुत्र श्योदान जाति गुर्जर के अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0